न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 34/2025 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/48

उनवान

1. श्री शंकरलाल पुत्र नाथजी मेहता, उम्र बालिग निवासी अदकालिया तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)

–प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री लक्ष्मण पिता इन्द्रजी मेहता, उम्र बालिग, निवासी अदकालिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री हरिराम पिता इन्द्रजी मेहता, उम्र बालिग, निवासी अदकालिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39, नियम 1, 2 एवं सपठित धारा 151 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 11/02/26

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री संजय मेहता अधिवक्ता– विपक्षी संख्या 2
विपक्षी संख्या 1–अनुपस्थित।

प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39, नियम 1, 2 एवं सपठित धारा 151 जा.दि. विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर अंकित किया कि मौजा अदकालिया, पटवार हल्का अदकालिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर मे स्थित खाता संख्या 140–142, आराजी नम्बर 531, 532 एवं 534 कुल रकबा 0.2600 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रार्थी का खातेदारी स्वामित्व एवं वास्तविक कब्जा है तथा वह भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि के पास ही विपक्षीगण की कृषि भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि को हडपने की बदनियति से प्रार्थीगण की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर बनी हुई बाड को तोड दिया, पूर्व में प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर बोई फसलो को भी बर्बाद कर दिया, जब प्रार्थी ने विपक्षीगणगण को रोका तो विपक्षीगण जो कि धनबल व बाहुबली होकर चुस्त व चालाक व्यक्ति है जिसने प्रार्थी को कहा कि यह भूमि हमारी है तथा उक्त भूमि पर आना मत और कोई कृषि कार्य मत करना तथा विपक्षीगण आये दिन किसी न किसी बात को लेकर प्रार्थी से लडाई झगडा करते रहते है और प्रार्थी को अपने स्वामित्व की कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से रोक रहे है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा सन्तुलन एंव अपुरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध है इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः आप श्रीमान् से सानुरोध निवेदन हैं

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उनवान– श्री शंकरलाल बनाम श्री लक्ष्मण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 जा.दि.

कि मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कलम संख्या 1 वर्णित कृषि भूमि पर किस प्रकार से अतिक्रमण नहीं करे, बाड, कोट इत्यादी नहीं गिराये, न ही अन्य किसी नौकर, एजेन्ट, मिस्त्री इत्यादी से करावे एवं विपक्षीगण प्रार्थी को उनके स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि में किये जा रहे कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजये मेहता हाजिर आये। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित रहा। विपक्षीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 12–01–2026 जवाब विपक्षीगण का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रकरण के समस्त अभिलेखों का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या संख्या 140–142, आराजी नम्बर 531/0.1400, 532/0.0900, 534/0.0300 कुल किता 3, रकबा 0.2600 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी की होकर नाम दर्ज अंकित है।

विपक्षीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, तथापि विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 12–01–2026 द्वारा विपक्षीगण का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया। अतः प्रार्थी के कथन अप्रतिवादित रहे हैं।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है, जिसकी प्रतिपूर्ति मात्र क्षतिपूर्ति द्वारा संभव नहीं होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39, नियम 1, 2 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा अदकालिया, पटवार हल्का अदकालिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर स्थित खाता संख्या 140–142, आराजी नम्बर 531/0.1400, 532/0.0900, 534/0.0300 कुल किता 3, रकबा 0.2600 हैक्टेयर प्रार्थी के आराजीयात की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे, न ही बाड़, कोट आदि को तोड़ेंगे एवं न ही प्रार्थी द्वारा किए जा रहे कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे।

निर्णय दिनांक 11/02/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर